

# कैबिनेट मिशन योजना & माउंटबेटन योजना

Avinash Kumar  
Assistant Professor & Head  
Department of History  
Patna College, Patna-800005  
Mobile No. 6202393206  
E-mail Id: avinashisavailable@gmail.com



फरवरी 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक तीन सदस्यीय उच्च-स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के तीन सदस्य- लार्ड पैथिक लारेंस (भारत सचिव), सर स्टेफर्ड क्रिप्स (व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष) तथा ए.वी. अलेक्जेंडर (एडमिरैलिटी के प्रथम लार्ड या नौसेना मंत्री) थे। इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिये गये थे तथा इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिये, उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना था।

## अंग्रेजों की भारत से वापसी क्यों अपरिहार्य प्रतीत होने लगी?

1. सरकार-विरोधी संघर्ष में राष्ट्रवादियों की सफलता से उनकी विजय निर्णायक स्थिति में पहुंच चुकी थी। राष्ट्रवाद, अब समाज के उन वर्गों और क्षेत्रों तक पहुंच-चुका था, जो कि अब तक इस प्रक्रिया से अछूते थे।
2. प्रथम विश्व युद्ध से लेकर 1939 के अंत तक भारतीय सिविल सेवा में यूरोपियों की जो सर्वोच्चता स्थापित थी, वह धीरे-धीरे समाप्त हो रही थी। इसका प्रमुख कारण इन सेवाओं में भारतीयों का बढ़ता प्रतिनिधित्व तथा सेवाओं का भारतीयकरण था। इन सेवाओं के भारतीयकरण से यूरोपियों में असंतोष बढ़ने लगा तथा धीरे-धीरे उनकी रुचि इन सेवाओं के प्रति कम होने लगी। इसके साथ नौकरशाही एवं सरकार भक्त तबके में भी असंतोष बढ़ने लगा। लंबे विश्व युद्धों के कारण भारत में आर्थिक कठिनाइयां बढ़ रही थी तथा देश धीरे-धीरे दिवालियेपन की ओर अग्रसर हो रहा था।
3. अंग्रेज सरकार की समझौतावादी एवं दमनकारी नीति की अपनी कुछ सीमायें थीं। साथ ही इसमें विरोधाभास प्रकट होने लगा था। जैसे कि-

क्रिप्स मिशन के उपरांत सरकार पूर्ण स्वतंत्रता को छोड़कर केवल सीमित समझौते की नीति पर ही चल रही थी।

जब अहिंसक असहयोग आंदोलन को दबाने के लिये सरकार ने दमन का सहारा लिया तो उसका फासीवादी चेहरा अनावृत हो गया तथा जब सरकार ने आंदोलनों के विरुद्ध दमन का सहारा लेने से बचने की कोशिश की तो नौकरशाही हताश हुयी तथा सरकार की प्रतिष्ठा में भारी गिरावट आयी।

सरकार द्वारा कांग्रेस के प्रति प्रेम दिखाये जाने से उसके भक्त असंतुष्ट हो गये।

सरकार की इन विरोधाभासी नीतियों के कारण नौकरशाही असमंजस की स्थिति में फंस गयी, जो कि अभी तक सर्वश्रेष्ठता की भावना पाले हुये थी तथा किसी भी स्थिति में भारतीयों के समक्ष झुकने को तैयार नहीं थी। चुनावों के उपरांत विभिन्न प्रांतों में कांग्रेस सरकारों के गठन से यह स्थिति और जटिल हो गयी तथा नौकरशाही एवं राजभक्त असमंजस के दलदल में आकंठ डूब गये।

1. संविधानवाद या कांग्रेस राज ने भारतीयों में जुझारूपन की प्रवृत्ति को और सशक्त बना दिया तथा राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रसार को और तेज कर दिया।
2. आजाद हिन्द फौज के युद्धबंदियों के समर्थन में पूरे राष्ट्र ने जिस अभूतपूर्व एकता का परिचय दिया उससे सरकार सकते में आ गयी। तदुपरांत रायल इंडियन नेवी के नाविकों के विद्रोह से सरकार के सम्मुख यह बात स्पष्ट हो गयी कि अब वह सेना पर भी पूर्ण विश्वास नहीं कर सकती। उसने महसूस किया कि यदि कांग्रेस ने अब कोई आंदोलन प्रारंभ किया तो उसे प्रांतीय कांग्रेसी सरकारें भी खुलकर सहयोग प्रदान करेंगी।
3. तत्कालीन परिस्थितियों में भारतीयों के पूर्ण दमन का एक ही उपाय था- अंतरिम शासन व्यवस्था। किंतु अब यह व्यवस्था असंभव प्रतीत होने लगी थी क्योंकि सरकार के पास अब पर्याप्त संख्या में दक्ष अधिकारी नहीं थे।
4. ब्रिटिश सरकार अब यह सोचने पर विवश हो गयी कि जन आंदोलन के भविष्य में भारत-ब्रिटिश संबंधों को अच्छा बनाये रखने का एकमात्र यही उपाय है। ब्रिटेन में भी सरकार एवं उच्च नीति-नियामक यह महसूस करने में लगे अंग्रेजों की सम्मानपूर्वक वापसी का यही एक उपाय है कि भारतीयों से समझौता कर लिया जाये तथा शांतिपूर्ण ढंग से उन्हें सत्ता सौंप दी जाये।



### कैबिनेट मिशन योजना की पूर्व संध्या

कैबिनेट मिशन योजना की पूर्वसंध्या पर कांग्रेस ने मांग की कि वह एकीकृत केंद्र में ही सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को स्वीकार करेगी। अल्पसंख्यकों की मांग के संबंध में उसकी नीति थी कि मुस्लिम बहुल प्रांतों को आत्मनिर्णय द्वारा केंद्र में विलय का होने का अधिकार है। किंतु उसने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने के उपरांत ही पूर्ण होगी।

ब्रिटेन की मंशा भी यही थी कि वह संयुक्त एवं मैत्रीभाव वाले भारत को सत्ता हस्तांतरित करे तथा राष्ट्रमंडल की सुरक्षा हेतु भारत को सक्रिय साझेदार बनाए क्योंकि ब्रिटेन का मानना था कि विभाजित भारत से राष्ट्रमंडल की शक्ति क्षीण होगी तथा ब्रिटिश सर्वोच्चता की उसकी नीति प्रभावित होगी।

1946 में ब्रिटेन की संयुक्त भारत के संबंध में स्पष्ट नीति थी, जो कि उसकी पूर्ववर्ती नीतियों से सर्वथा भिन्न थी। 15 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने कहा कि “.....अल्पसंख्यकों की मांगे विचारणीय हैं....परंतु उन्हें बहुसंख्यकों के हितों की उपेक्षा करके पूरा नहीं किया जा सकता”। यह घोषणा शिमला सम्मेलन में सरकार द्वारा अपनायी गयी उस घोषणा से बिल्कुल भिन्न थी, जिसमें वायसराय वेवेल ने जिन्ना को संतुष्ट करने का पूर्ण प्रयास किया था।

### भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन

24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। मिशन ने विभिन्न दलों एवं समूहों के नेताओं से निम्न मुद्दों पर कई दौर की बातचीत की-

1. अंतरिम सरकार।
2. भारत की स्वतंत्रता देने एवं नये संविधान के निर्माण हेतु आवश्यक सिद्धांत एवं उपाय।

जब एकता या विभाजन के आधारभूत मुद्दे पर कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने आपस में कोई सहमति नहीं हो सकी तो मिशन ने अपनी ओर से संवैधानिक समस्या के समधान हेतु मई 1946 में योजना प्रस्तुत की।

### कैबिनेट मिशन योजना-मुख्य बिन्दु

पूर्ण पाकिस्तान के गठन की मांग अस्वीकार कर दी क्योंकि-

1. पाकिस्तान के गठन से बड़ी संख्या में गैर-मुस्लिम जनसंख्या उसमें सम्मिलित हो जायेगी। जैसे- उत्तर-पश्चिम में 38 प्रतिशत जनसंख्या तथा उत्तर-पूर्व में 48 प्रतिशत जनसंख्या।
2. साम्प्रदायिक आत्म-निर्णय के सिद्धांत से नयी-समस्याएँ खड़ी हो सकती थी। जैसे पश्चिमी-बंगाल में हिन्दू बहुसंख्या में थे तथा पंजाब के जालंधर व अम्बाला डिवीजन में हिन्दू व सिख बहुसंख्यक थे, अतः वे भी विभाजन की मांग कर सकते थे। दूसरी ओर कुछ सिख नेता पहले से ही राग अलाप रहे थे कि यदि देश का विभाजन किया गया तो वे भी पृथक राज्य की मांग उठावेंगे।
3. पंजाब एवं बंगाल के विभाजन से क्षेत्रीय संधियां खतरे में पड़ सकती थी।
4. विभाजन से प्रशासनिक एवं आर्थिक समस्याएँ खड़ी हो सकती थी। जैसे कि- पाकिस्तान के पूर्वी एवं पश्चिमी भागों के मध्य संचार की समस्या।

5. सशस्त्र सेनाओं का विभाजन अत्यंत खतरनाक हो सकता था।
6. प्रांतीय विधानमंडलों का तीन समूहों में विभाजन-
  - समूह-क: मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार एवं उड़ीसा (हिन्दू बहुसंख्यक प्रांत)।
  - समूह-ख: पंजाब, उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रांत एवं सिंध (मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत)।
  - समूह-ग: बंगाल एवं असम (मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत)।
1. कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका का त्रिस्तरीय- केन्द्रीय, प्रांतीय एवं समूह स्तरों में विभाजन।
2. संविधान सभा का निर्वाचन, प्रांत की विधानसभाओं के सदस्य तथा प्रांत की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा किया जायेगा। निर्वाचन मंडल में केवल तीन वर्ग माने गये- मुस्लिम, सिख और अन्य (हिन्दू सहित)। प्रस्तावित संविधान सभा में 389 सदस्य होने थे; जिनमें से 292 सदस्य भारतीय प्रांतों से, 4 मुख्य आयुक्तों के राज्यों से तथा 93 देशी रियासतों से चुने जाने थे। यह एक उपयुक्त एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, जो कि परिमाण पर आधारित नहीं थी।
3. इस संविधान सभा में- समूह क ख एवं ग तीनों के सदस्य प्रांतों का संविधान बनाने हेतु पृथक-पृथक बैठकर विचार-विमर्श करेंगे और यदि संभव हुआ तो समूहों के लिये संविधान निर्माण का भी प्रयास करेंगे। तत्पश्चात् तीनों समूहों के सदस्य (अर्थात् संपूर्ण संविधान सभा) एक साथ बैठकर संघीय संविधान का निर्माण करेंगे।
4. ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय परिसंघ बनाया जायेगा। एकीकृत संघ- रक्षा, संचार एवं विदेशी मामलों पर नियंत्रण रखेगा।
5. केन्द्रीय व्यवस्थापिका में साम्प्रदायिक प्रश्नों का हल दोनों समुदाय के उपस्थिति एवं मत देने वाले सदस्यों के सामान्य बहुमत के आधार पर किया जायेगा।
6. हर प्रांत को पृथक-पृथक कार्यपालिका और विधायिका के साथ समूह बनाने का अधिकार होगा तथा प्रत्येक समूह को अपने अधीन रखे जाने वाले प्रांतीय विषयों के संबंध में निर्णय का अधिकार होगा।
7. सत्ता हस्तांतरण के पश्चात् भारतीय राज्यों से संबद्ध सर्वोच्च शक्ति न इंग्लैंड के पास रहेगी और न ही भारत के पास। भविष्य में 552 देशी रियासतों का भारत में क्या स्थान होगा, इस विषय में ये रियासतें संविधान सभा से बातचीत करेंगी और इस बीच इन रियासतों का संविधान सभा में प्रतिनिधित्व होगा।
8. केन्द्रीय संविधान सभा और इंग्लैंड में सत्ता-हस्तांतरण से उत्पन्न विवादों के निराकरण के लिये एक संधि के संदर्भ में बातचीत की आवश्यकता दर्शायी गयी थी।
9. सभी दलों की सहायता से एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जायेगी, जिसमें सभी विभाग भारतीय नेताओं के पास रहेंगे।

#### समूह व्यवस्था के संबंध में भिन्न-भिन्न व्याख्याएं-

प्रत्येक पार्टी या समूह ने समूह व्यवस्था की अवधारणा को अपनी-अपनी दृष्टि से देखा तथा उसकी अलग-अलग व्यवस्था की-

**कांग्रेस** जब तक समूह व्यवस्था की अवधारणा वैकल्पिक है तब तक कैबिनेट मिशन योजना पाकिस्तान निर्माण के विरुद्ध है। एकल संविधान सभा का गठन विचारणीय है; मुस्लिम लीग का वीटो पावर समाप्त हो गया है।

**मुस्लिम लीग** अनिवार्य समूहीकरण की व्यवस्था में पाकिस्तान का निर्माण अंतर्भूत है।

#### कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में मुख्य आपत्तियां

विभिन्न दलों ने भिन्न-2 आधारों पर कैबिनेट मिशन का विरोध किया-

#### कांग्रेस

- प्रथम आम चुनावों होने तक समूह के रूप में प्रांतों का इंतजार करना उचित व्यवस्था नहीं है। प्रांतों को यह छूट होनी चाहिए कि वे समूह में सम्मिलित हों या नहीं।
- समूहों में सम्मिलित होने की अनिवार्यता प्रांतीय स्वायत्तता के सिद्धांत के विपरीत है।
- संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के लिये निर्वाचन की व्यवस्था न होने की बात स्वीकार नहीं की जा सकती। (विदित है कि देशी रियासतों के प्रतिनिधि राजाओं द्वारा मनोनीत किये जाने थे)।

## मुस्लिम लीग

समूहीकरण की शर्त समूह ख एवं ग के लिये अनिवार्य होनी चाहिये तभी भविष्य में पाकिस्तान के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। लीग का सोचना था कि कांग्रेस, कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर देगी तब सरकार अंतरिम सरकार के गठन के लिये लीग को आमंत्रित करेगी।

**स्वीकार्यता:** 6 जून को मुस्लिम लीग ने और 24 जून 1946 को कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना के दीर्घ अवधि के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया।

**जुलाई 1946:** संविधान सभा के गठन हेतु प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में चुनाव संपन्न हुये।

कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के आधार पर पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार में भागीदारी से इंकार कर दिया पर संविधान निर्मात्री सभा में शामिल होना स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को आरंभ में तो स्वीकार कर लिया किंतु बाद में उससे अपनी स्वीकृति वापस ले ली। कांग्रेस द्वारा संविधान सभा में शामिल होने और मुस्लिम लीग द्वारा अपनी स्वीकृति वापस ले लेने के कारण वायसराय ने लीग के प्रतिनिधित्व के बिना ही कार्यकारिणी का गठन कर लिया। वायसराय द्वारा उठाये गये इस कदम को अनुचित बताते हुये लीग ने 16 अगस्त, 1946 को 'प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस' का आह्वान किया।

**2 सितम्बर 1946** को **जवाहरलाल नेहरू** और उनके सहकर्मियों ने **वायसराय की काउंसिल** के सदस्यों के रूप में शपथ ली। यह काउंसिल नेहरू के नेतृत्व में एक प्रकार से मंत्रिमंडल के रूप में काम करने लगी। नेहरू के नेतृत्व में काउंसिल के राष्ट्रसमर्थक कार्यों और कांग्रेस की शक्ति में वृद्धि को देखते हुये वायसराय लार्ड वैवेल ने घबराकर मुस्लिम लीग को काउंसिल में शामिल होने के लिये राजी कर लिया। मुस्लिम लीग को काउंसिल में शामिल करना इसलिये आपेक्षित था क्योंकि उसके बिना काउंसिल असंतुलित थी। मुस्लिम लीग ने अब भी संविधान सभा में शामिल होने से अस्वीकार कर दिया था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू को लार्ड वैवेल ने यह सूचना दी कि मुस्लिम लीग ने काउंसिल में शामिल होना स्वीकार कर लिया है।

**वैवेल** के इस कार्य से मंत्रिमंडल (काउंसिल) में असहयोग का वातावरण उत्पन्न हो गया और लीग द्वारा यह घोषणा कर दिये जाने पर कि उसने संविधान सभा में शामिल होने का कोई वायदा नहीं किया था, वैवेल के लिये असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गयी। 9 दिसम्बर, 1946 को मुस्लिम लीग के सदस्यों की अनुपस्थिति में ही डा. राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन कर दिया गया। मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा का विरोध किया और पृथक पाकिस्तान की मांग को और अधिक प्रखर रूप में सामने रखा।

### मुस्लिम लीग की गतिरोध उत्पन्न करने की मानसिकता तथा भविष्य की रणनीति

9 दिसम्बर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग सम्मिलित नहीं हुयी। तत्पश्चात लीग की अनुपस्थिति में बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किये गये एक मसौदे को पारित किया गया, जिसमें "एक स्वतंत्र, पूर्ण प्रभुसत्तासंपन्न गणराज्य की स्थापना का आदर्श लक्ष्य था। जिसे स्वायत्तता, अल्पसंख्यकों को पर्याप्त संरक्षण देने का अधिकार तथा सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी"।

मुस्लिम लीग ने मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिये जाने के लिये आहूत की गयी अनौपचारिक बैठक में भी भाग नहीं लिया।

मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के सदस्यों द्वारा लिये गये निर्णय तथा नियुक्तियों पर सवाल उठाये। वित्तमंत्री के रूप में लियाकत अली खान मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों के कार्य में बाधक बन रहे थे।

मुस्लिम लीग का उद्देश्य किसी भी तरह पृथक पाकिस्तान का निर्माण करना था तथा उसकी समस्त गतिविधियां तथा निर्णय इसी भावना से ओत-प्रोत थी। उसके लिये यह गृहयुद्ध जैसी प्रक्रिया थी। दूसरी ओर कांग्रेस ने सरकार से मांग की कि वह या तो मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार को सहयोग देने के लिये कहे या सरकार से अलग होने की कहे।

फरवरी 1947 में, मंत्रिमंडल के नौ कांग्रेस सदस्यों ने वायसराय को पत्र लिखकर मांग की कि वे लीग के सदस्यों को त्यागपत्र देने के लिये कहे अन्यथा वे मंत्रिमंडल से अपना नामांकन वापस ले लेंगे। तत्पश्चात लीग द्वारा संविधान सभा को भंग करने की मांग से स्थिति और बिगड़ गयी। इस प्रकार गतिरोध सुलझने के स्थान पर और बढ़ता हुआ प्रतीत होने लगा।

### प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त, 1946 Direct Action Day 16 August 1946

जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिये हुये चुनावों में कांग्रेस को शानदार सफलता मिली। इससे मुस्लिम लीग भयभीत हो गयी तथा उसने कैबिनेट मिशन योजना को ठुकरा दिया। इतना ही नहीं जिन्ना ने 'पाकिस्तान' प्राप्त करने के लिये 'प्रत्यक्ष कार्यवाही' की धमकी दी तथा 16 अगस्त 1946 का दिन 'प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस' के रूप में 'मनाने का निश्चय किया। इस अशुभ

दिन पर देश के अनेक स्थानों में भीषण साम्प्रदायिक दंगे हुये। अकेले कलकत्ता में 7 हजार से अधिक लोग सामूहिक कत्लेआम में मारे गये। नोआखाली, सिलहट, गढ़मुक्तेश्वर, त्रिपुरा, बिहार तथा अन्य स्थानों में भी भीषण सांप्रदायिक दंगे हुये जिनमें हजारों लोग मौत के घाट उतार दिये गये।

### **एटली की घोषणा- 20 फरवरी 1947 Atlee's Declaration – February 20, 1947**

20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा की गयी घोषणा के मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैं-

- अंग्रेज सरकार 30 जून 1948 तक भारतवासियों को सत्ता सौंप देगी।
- यदि इस तिथि तक संविधान नहीं बन सका तो उस स्थिति में ब्रिटिश सम्राट की सरकार यह विचार करेगी कि निश्चित तिथि को ब्रिटिश शासित भारत की केंद्रीय सरकार की सत्ता किसको सौंपी जाये। क्या ब्रिटिश भारत की केंद्रीय सरकार के किसी रूप को अथवा कुछ भागों में वर्तमान प्रांतीय सरकारों को अथवा किसी अन्य ढंग से जो सर्वाधिक न्यायसंगत एवं भारतीयों के सर्वाधिक हित में हो, सत्ता दी जाये।
- लार्ड वैवेल के स्थान पर लार्ड मांडटबेटन को भारत का नया वायसराय नियुक्त किया गया।

एटली की उपर्युक्त घोषणा में पाकिस्तान के निर्माण का भाव निहित था। साथ ही यह घोषणा राज्यों के बल्कनीकरण एवं क्रिप्स प्रस्तावों के समर्थन का आभास दे रही थी।

सरकार ने भारतीयों की सत्ता हस्तांतरित करने के लिये तिथि निर्धारित क्यों की-

- सरकार को आशा थी कि सत्ता हस्तांतरण के लिये तिथि निर्धारित करने पर भारत के राजनीतिक दल मुख्य समस्या के समाधान हेतु सहमत हो जायेंगे।
- सरकार तत्कालीन संवैधानिक संकट को टालना चाहती थी।
- सरकार इस बात को स्वीकार कर चुकी थी कि भारत से उसकी वापसी तथा भारतवासियों को सत्ता हस्तांतरण अपरिहार्य हो चुका है।

### **कांग्रेस की प्रतिक्रिया**

कांग्रेस ने स्वायत्तशासी उपनिवेशों को सत्ता हस्तांतरित करने की योजना को इसलिये स्वीकार कर लिया क्योंकि इससे भारत के अधिक विखंडित होने की संभावना समाप्त हो गयी। इस योजना में प्रांतों एवं देशी रियासतों को अलग से स्वतंत्रता देने का कोई प्रावधान नहीं था। साथ ही तत्कालीन प्रांतीय व्यवस्थापिकाएं स्वयं अपने क्षेत्रों के लिए संविधान का निर्माण कर सकती थी तथा इससे गतिरोध को समाप्त करने में मदद मिलने की उम्मीद थी।

लेकिन शीघ्र ही मुस्लिम लीग के प्रयासों से कांग्रेस की यह उम्मीद धूल-धूसरित हो गयी। लीग ने पंजाब की गठबंधन सरकार के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया तथा समझौते की संभावनायें नगण्य दिखने लगीं।

## माउंटबैटन योजना( 3 जून 1947)

1947 के प्रारंभ में साम्प्रदायिक दंगों की आग में झुलस रहे देश तथा कांग्रेस एवं लीग के मध्य बढ़ते गतिरोध के कारण भारतीय राष्ट्रवादी विभाजन के उस दुखद एवं ऐतिहासिक निर्णय के संबंध में सोचने को विवश हो गये, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण मांग बंगाल एवं पंजाब के हिन्दू एवं सिख समुदाय की ओर से उठायी गयी। इसका प्रमुख कारण यह था कि यह समुदाय समूहीकरण की अनिवार्यता के कारण इस बात से चिंतित था उसे कहीं पाकिस्तान में सम्मिलित न होना पड़े। बंगाल में हिन्दू महासभा ने पं. बंगाल के रूप में एक पृथक हिन्दू राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की।

10 मार्च, 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि वर्तमान समस्या के समाधान का सबसे सर्वोत्तम उपाय यह है कि कैबिनेट मिशन, पंजाब एवं बंगाल का विभाजन कर दें।

अप्रैल 1947 में भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष **जे.बी. कृपलानी** ने वायसराय को लिखा कि. “युद्ध से बेहतर यह है कि हम उनकी पाकिस्तान की मांग को मान लें। किन्तु यह तभी संभव होगा जब आप पंजाब और बंगाल का ईमानदारीपूर्वक विभाजन करें।”

माउंटबैटन वायसराय के रूप में: लार्ड माउंटबैटन अपने पूर्ववर्ती वायसरायों की तुलना में निर्णय लेने में ज्यादा त्वरित एवं निर्णायक सिद्ध हुये क्योंकि उन्हें निर्णय लेने के ज्यादा एवं अनौपचारिक अधिकार प्रदान किये गये थे। साथ ही उन्हें ब्रिटिश सरकार के इस दृढ़ निर्णय से भी काफी सहायता मिली कि जितनी जल्दी हो सके भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाये। उनका प्रमुख कार्य यह था कि अक्टूबर 1947 से पहले वे इस बात का पता लगायें कि भारत में एकता या विभाजन दोनों में से क्या होना है और इसके पश्चात उनका उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार को इस बात से अवगत कराना है कि भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण किस प्रकार किया जायेगा तथा उसका स्वरूप क्या होगा? माउंटबैटन के आने से पूर्व ही भारतीय परिस्थितियां निर्णायक मोड़ लेने लगी थी, इससे भी माउंटबैटन को परिस्थितियों को समझने तथा निर्णय लेने में मदद मिली।

कैबिनेट मिशन निष्फल प्रयास के रूप में सामने आया तथा जिन्ना इस बात पर दृढ़तापूर्वक अड़े हुये थे कि वे पाकिस्तान से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे।



### माउंटबैटन योजना, 3 जून 1947

लार्ड वैवेल के स्थान पर लार्ड माउंटबैटन के वायसराय बन कर आने के पूर्व ही भारत में **विभाजन के साथ स्वतंत्रता** का फार्मूला भारतीय नेताओं द्वारा लगभग स्वीकार के लिया गया था। 3 जून को माउंटबैटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की एक योजना प्रस्तुत की। इसे **माउंटबैटन योजना** के साथ ही **3 जून योजना** के नाम से भी जाना जाता है।

मुख्य बिन्दु: माउंटबैटन योजना के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार थे—

- पंजाब और बंगाल में हिन्दू तथा मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग बैठक बुलाई जाये और उसमें कोई भी पक्ष यदि प्रांत का विभाजन चाहेगा तो विभाजन कर दिया जायेगा।
- विभाजन होने की दशा में दो डोमिनियनों तथा दो संविधान सभाओं का निर्माण किया जायेगा।
- सिंध इस संबंध में अपना निर्णय स्वयं लेगा।
- उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जायेगा कि वे भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं।
- योजना में कांग्रेस की भारत की एकता की मांग को अधिक से अधिक पूरा करने की कोशिश की गयी। जैसे-
  1. भारतीय रजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता उन्हें या तो भारत में या पाकिस्तान में सम्मिलित होना होगा।
  2. बंगाल को स्वतंत्रता देने से मना कर दिया गया।
  3. हैदराबाद की पाकिस्तान में सम्मिलित होने की मांग को अस्वीकार कर दी गयी। (इस मांग के संबंध में माउंटबैटन ने कांग्रेस का पूर्ण समर्थन किया)।
- 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को डोमिनियन स्टेट्स के आधार पर सत्ता का हस्तांतरण हो जायेगा।
- यदि विभाजन में गतिरोध उत्पन्न हुआ तो एक सीमा आयोग का गठन किया जायेगा।

माउंटबैटन योजना को कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया तथा भारत का भारत एवं पाकिस्तान दो डोमिनियनों में विभाजन कर दिया गया। इस योजना से जहां मुस्लिम लीग की बहुप्रतीक्षित पाकिस्तान के निर्माण की मांग पूरी हो गयी, वहीं योजना में कांग्रेस की इस मांग का भी पूरा ध्यान रखा गया कि यथासंभव पाकिस्तान का भौगोलिक क्षेत्र छोटा से छोटा हो।

भारत ने डोमिनियन का दर्जा क्यों स्वीकार किया: लाहौर अधिवेशन (1929) की भावना के विरुद्ध कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा स्वीकार किया क्योंकि-

1. इससे शांतिपूर्ण एवं त्वरित सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया सुनिश्चित हो गयी।
2. देश की तत्कालीन विस्फोटक परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिये आवश्यक था कि कांग्रेस जल्द से जल्द शासन की शक्तियां प्राप्त करे।
3. देश में प्रशासनिक एवं सैन्य ढांचे की निरंतरता को बनाये रखने के लिये भी यह अनिवार्य था।

भारत द्वारा डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा स्वीकार किये जाने से ब्रिटेन को उसे राष्ट्रमंडल में शामिल करने का अवसर मिल गया। इससे ब्रिटेन की यह चिर-प्रतीक्षित इच्छा पूरी हो गयी। यद्यपि भले ही यह अस्थायी था, परंतु ब्रिटेन को विश्वास था कि भारत के राष्ट्रमंडल में आ जाने से उसे आर्थिक सुदृढ़ता तथा रक्षात्मक शक्ति मिलेगी तथा भारत में उसके निवेश के नये द्वार खुलेंगे।

### **ब्रिटेन द्वारा सत्ता हस्तांतरण की तिथि (15 अगस्त 1947) समय से पूर्व ही तय कर लिये जाने का कारण**

ब्रिटेन, डोमिनियन स्टेट्स के मुद्दे पर कांग्रेस की स्वीकृति चाहता था। इसके साथ ही वह उस समय हो रहे भीषण सांप्रदायिक दंगों की जिम्मेदारी से भी बचना चाहता था।

योजना यह थी कि जैसे ही डोमिनियन स्टेट्स के लिये कांग्रेस की स्वीकृति मिले, योजना को तुरंत, बिना किसी विलंब के क्रियान्वित कर दिया जाये। इस योजना के अनुसार, सीमांत प्रांत में जनमत संग्रह द्वारा यह तय होना था कि वह भारत में शामिल होगा या पाकिस्तान में इसी प्रकार असम के मुस्लिम बहुसंख्यक सिलहट जिले में भी जनमत संग्रह द्वारा यह निश्चित होना था कि वह भारत में सम्मिलित होगा या पूर्वी बंगाल में।

बंगाल और पंजाब की विधानसभाओं को दो भागों में, एक में मुस्लिम बहुसंख्यक प्रदेश के प्रतिनिधि तथा दूसरे में शेष अन्य प्रतिनिधियों को यह निश्चित करना था कि प्रांतों का विभाजन हो या नहीं। जैसी कि उम्मीद थी दोनों प्रांतों के हिंदू बहुसंख्यक प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने यह निश्चय किया कि प्रांतों का विभाजन हो। पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल ने यह तय किया कि वे पाकिस्तान में सम्मिलित होंगे, जबकि पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पंजाब ने यह तय किया कि वे भारत में सम्मिलित होंगे। सिलहट और सीमांत प्रांत का जनमत संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में गया। ब्लूचिस्तान एवं सिंध में जनमत ने भारी बहुमत से पाकिस्तान में सम्मिलित होने की इच्छा जतायी।